फ़ाइल संख्या: **3-06/2017- छात्रवृत्ति(पार्ट) (कम्प्यूटर संख्या 45799)**

भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

B-I विंग, पं. दीनदयाल अन्त्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली – 110 003

दिनांक: 04.09.2025

<u>कार्यालय ज्ञापन</u>

विषय: केंद्रीय क्षेत्र की व्यापक योजना "दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति" के दिशानिर्देशों में संशोधन के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि सक्षम प्राधिकारी ने केंद्रीय क्षेत्र की व्यापक योजना "दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति" के दिशानिर्देशों में कुछ संशोधनों को मंजूरी दे दी है।

2. तदनुसार, केन्द्रीय क्षेत्र की व्यापक योजना “दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति” के संबंध में अनुबंध के अनुसार परिवर्तन तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

.

Sandeep Kumar

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.12.12 17:26:58 +05'30'

(संदीप कुमार)

अवर सचिव, भारत सरकार

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

सेवा में,

1. सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव/प्रधान सचिव।

सूचनार्थ प्रतिलिपि:-

1. माननीय मंत्री एसजे एंड ई के निजी सचिव
2. माननीय राज्य मंत्री (आरए) के निजी सचिव/ माननीय राज्य मंत्री (बीएलवी) के निजी सचिव
3. सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव
4. एएस (एमकेएन) के पीपीएस/ जेएस (आरएस) के पीएस / डीडीजी की पीपीएस
5. संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार के निजी सचिव
6. दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के सभी निदेशक/उप निदेशक

अनुबंध-I

छात्रवृत्ति योजना के दिशानिर्देशों में संशोधन के संबंध में

क्रम सं.	पैरा	मौजूदा प्रावधान	संशोधित प्रावधान
1	1.5 (ii)	पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा ग्यारह से स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा तक)	पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा ग्यारह से स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा के लिए) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी), राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी), भारतीय पुनर्वास परिषद (आरसीआई), अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) आदि जैसे उपयुक्त निकायों द्वारा अनुमोदित)।
2	2 (ii)	छात्रवृत्ति के सभी घटक बेंचमार्क दिव्यांगता अर्थात 'दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016' में परिभाषित 40% या अधिक दिव्यांगता वाले छात्रों के लिए खुले हैं।। इसके अलावा, आवेदकों के पास निम्नलिखित होना चाहिए: सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध दिव्यांगता प्रमाण पत्र, आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण। iii. यूडीआईडी/यूडीआईडी नामांकन	छात्रवृत्ति के सभी घटक बेंचमार्क दिव्यांगता अर्थात 'दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016' में परिभाषित 40% या अधिक दिव्यांगता वाले छात्रों के लिए खुले हैं। इसके अलावा, आवेदकों के पास निम्नलिखित होना चाहिए: क. विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र (यूडीआईडी)। ख. आधार कार्ड
3	5 क (v)	ऐसे रोजगाररत छात्र जिनकी आय उनके माता-पिता / अभिभावक की आय के साथ संयुक्त रूप से अधिकतम निर्धारित आय सीमा से अधिक नहीं है, वे सभी अनिवार्य रूप से देय गैर-वापसी योग्य शुल्क की प्रतिपूर्ति की सीमा तक पोस्ट- मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए पात्र हैं।	ऐसे रोजगाररत / प्रशिक्षु छात्र जिनकी आय उनके माता-पिता/अभिभावक की आय के साथ संयुक्त रूप से निर्धारित अधिकतम आय सीमा से अधिक नहीं है, वे सभी घटकों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए पात्र हैं।

4	6.2	वित्तीय सहायता की मात्रा: ii) पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में एकमुश्त अनुदान के रूप में 45,000/- रुपये । (लाभ प्राप्त करने के लिए, छात्र को लैपटॉप/कंप्यूटर की खरीद के प्रमाण के रूप में आवश्यक दस्तावेज़ जैसे बिल/रसीद प्रस्तुत करनी होगी) iii) एकमुश्त अनुदान के रूप में रु. 30,000/- (दावे की वास्तविकता सुनिश्चित करने के लिए छात्रों द्वारा प्रस्तुत अपेक्षित दस्तावेज़ों जैसे बिल/वाउचर के आधार पर प्रतिपूर्ति की जाती है।) *नोट – भारत सरकार द्वारा दिनांक 09.7.2024 के कार्यालय ज्ञापन जेड-11012/3/2020-डीडी-I (13119) और बाद की अधिसूचनाओं, यदि कोई हो, के माध्यम से अधिसूचित सहायक यंत्रों और सहायक उपकरणों की अनुमोदित व्यापक सूची का उस विशिष्ट दिव्यांगता से संबंधित सहायक यंत्रों और सहायक उपकरणों की खरीद के लिए कड़ाई से पालन किया जाएगा, बशर्ते कि लाभार्थी ने पिछले तीन वर्षों के दौरान एडिप योजना के तहत सहायता का दावा नहीं किया हो।	उच्च श्रेणी छात्रवृत्ति के लिए वित्तीय सहायता की मात्रा: ii) पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में एकमुश्त अनुदान के रूप में 45,000/- रुपये की निश्चित राशि (किसी दस्तावेज की आवश्यकता नहीं)। iii) एकमुश्त अनुदान के रूप में 30,000/- रुपये की निश्चित राशि (अर्जुन पोर्टल के माध्यम से इसका लाभ न लेने पर)। हटाए गए
5	7.घ	घ. यदि कोई अभ्यर्थी किसी एक राज्य का स्थायी निवासी है, लेकिन किसी अन्य राज्य में अध्ययन कर रहा है, तो उसके आवेदन की अनुशंसा उस राज्य के शिक्षा/कल्याण विभाग द्वारा की जानी चाहिए, जिसका वह स्थायी	प्री-मैट्रिक/पोस्ट मैट्रिक : नए आवेदन के मामले में, यदि कोई अभ्यर्थी किसी एक राज्य का स्थायी निवासी है, लेकिन किसी अन्य राज्य में अध्ययन कर रहा है, तो उसके आवेदन की अनुशंसा उस राज्य के शिक्षा/कल्याण विभाग

		निवासी है।	द्वारा की जानी चाहिए, जहां विद्यार्थी अध्ययन कर रहा है । नवीकरण आवेदन के मामले में राज्य नोडल अधिकारी से सत्यापन की आवश्यकता नहीं है। उच्च श्रेणी: नए/नवीनीकरण आवेदन के मामले में, राज्य नोडल अधिकारी से सत्यापन की आवश्यकता नहीं है।
6	7. ङ	ङ. राज्य सरकार के संबंधित विभाग/नोडल अधिकारी द्वारा ऑनलाइन सत्यापन के आधार पर और राज्यवार प्राप्त पात्र आवेदनों की संख्या और दिव्यांगजनों की राज्यवार जनसंख्या के प्रतिशत को ध्यान में रखते हुए, प्रत्येक छात्रवृत्ति के लिए उपलब्ध स्लॉट राज्यवार वितरित किए जाएँगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि योजना का लाभ पूरे देश में उपलब्ध हो। राज्यवार प्राप्त पात्र आवेदनों की संख्या को कुल पात्र आवेदनों की संख्या के प्रतिशत के रूप में परिवर्तित किया जाएगा और उसके बाद दिव्यांगजनों की राज्यवार जनसंख्या के औसत प्रतिशत और पात्र आवेदनों के राज्यवार प्रतिशत के आधार पर राज्यवार स्लॉट का निर्णय लिया जाएगा। ज. उपरोक्त योग्यता मानदंडों को ध्यान में रखते हुए, अंतिम चयन राज्यवार वितरित स्लॉट के अनुसार राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा।	राज्य सरकार के संबंधित विभाग/नोडल अधिकारी द्वारा नए आवेदन के ऑनलाइन सत्यापन के आधार पर पैरा 7 (च) और (छ) के अनुसार मेरिट सूची तैयार की जाएगी। ज. उपरोक्त योग्यता मानदंडों को ध्यान में रखते हुए, नए आवेदनों के लिए उपलब्ध स्लॉट के अनुसार राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से अंतिम चयन किया जाएगा।
7	13.2	vii. जिन अभ्यर्थियों के पास नवीनतम उपलब्ध क्यूएस रैंकिंग के अनुसार शीर्ष 500 विदेशी संस्थानों/विश्वविद्यालयों के दिशानिर्देशों के अनुरूप बिना शर्त प्रस्ताव पत्र या सशर्त प्रवेश प्रस्ताव पत्र है। यदि अभ्यर्थी विदेश में किसी विश्वविद्यालय/संस्थान में मास्टर डिग्री/	नवीनतम उपलब्ध क्यूएस रैंकिंग के अनुसार, शीर्ष 500 रैंकिंग वाले विदेशी संस्थानों/विश्वविद्यालयों (केवल विश्वविद्यालय/कॉलेज के मुख्य परिसर में, किसी फ्रैंचाइज़ी या अन्य छोटे परिसर में नहीं) से योजना दिशानिर्देशों के अनुरूप बिना शर्त

		पीएचडी में दिव्यांगता अध्ययन के विशेष पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन करता है और उक्त विश्वविद्यालय/संस्थान 500 क्यूएस रैंकिंग में नहीं आता है, तो विभाग आवेदन पर विचार कर सकता है, बशर्ते वह आवेदन विश्व में दिव्यांगता अध्ययन के लिए सर्वोत्तम रैंकिंग वाले विश्वविद्यालयों/संस्थानों में आता हो।	प्रस्ताव पत्र या सशर्त प्रवेश प्रस्ताव पत्र प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी। यदि अभ्यर्थी विदेश में किसी विश्वविद्यालय/संस्थान में मास्टर डिग्री/ पीएचडी में दिव्यांगता अध्ययन के विशेष पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन करता है और उक्त विश्वविद्यालय/संस्थान परिसर 500 क्यूएस रैंकिंग में नहीं आता है, तो विभाग आवेदन पर विचार कर सकता है, बशर्ते वह गैलाउडेट विश्वविद्यालय आदि जैसे विश्व में दिव्यांगता अध्ययन के लिए सर्वोत्तम रैंकिंग वाले विश्वविद्यालयों/संस्थानों के अंतर्गत आता हो।
8	13.6	-	v. दूतावास निम्नलिखित का सत्यापन करेगा: विश्वविद्यालय से प्रस्ताव की पुष्टि। पाठ्यक्रम के स्तर की पुष्टि। क्या यह मास्टर डिग्री पाठ्यक्रम है? (हाँ या नहीं)? विश्वविद्यालय की मान्यता की स्थिति। पुरस्कार विजेता के पाठ्यक्रम में शामिल होने की अंतिम तिथि । संपूर्ण पाठ्यक्रम के लिए ट्यूशन शुल्क विवरण (प्रत्येक वर्ष के लिए) क्या अन्य विदेशी छात्रों के लिए शुल्क समान है क्या विश्वविद्यालय द्वारा अभ्यर्थी को कोई छात्रवृत्ति प्रदान की गई है
9	13.6	-	vi. अंतिम अवार्ड लेटर जारी करने से पहले विभाग द्वारा अधिकृत अस्पताल के द्वारा उम्मीदवार के दिव्यांगता प्रमाण पत्र की जांच की जाएगी।
10	14.4	कार्यान्वयन एजेंसी ii. विभाग केंद्रीय विश्वविद्यालयों/संस्थानों, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत राज्य विश्वविद्यालयों और शिक्षा/विशेष शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत किसी अन्य सरकारी संस्थान के माध्यम से योजना के कार्यान्वयन पर भी विचार कर सकता है, बशर्ते कि ऐसे विश्वविद्यालयों और संस्थानों को एक ऐसी	 ii. विभाग केंद्रीय विश्वविद्यालयों/संस्थानों, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्य विश्वविद्यालयों और शिक्षा/विशेष शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत किसी अन्य सरकारी संस्थान के माध्यम से योजना के कार्यान्वयन पर विचार करेगा, बशर्ते कि ऐसे

		चयन समिति द्वारा कार्यान्वयन एजेंसियों के रूप में चुना जाएगा, जिसकी संरचना अगले पैरा में दी गई है और जिसे सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा अनुमोदित किया जाए।	विश्वविद्यालयों और संस्थानों को एक ऐसी चयन समिति द्वारा कार्यान्वयन एजेंसियों के रूप में चुना जाएगा, जिसकी संरचना अगले पैरा में दी गई है और जिसे सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा अनुमोदित किया जाए।
11	14.5	कार्यान्वयन एजेंसी का अनुमोदन चयन समिति वास्तविक और शैक्षणिक अवसंरचना की उपलब्धता और नि:शुल्क कोचिंग योजना को लागू करने के लिए अन्य आवश्यकताओं के आधार पर कार्यान्वयन एजेंसियों की सिफारिश करेगी, जिनकी संरचना निम्नलिखित होगी: i) संयुक्त सचिव, छात्रवृत्ति, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग - अध्यक्ष ii) संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग या उनका/उनका प्रतिनिधि जो उप सचिव के पद से नीचे का न हो - सदस्य iii) निदेशक/उप सचिव (छात्रवृत्ति), दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग - सदस्य सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग चयन समिति की सिफारिश को अनुमोदित करने वाला प्राधिकारी होगा।	चयन समिति वास्तविक और शैक्षणिक अवसंरचना की उपलब्धता और नि:शुल्क कोचिंग योजना को लागू करने के लिए अन्य आवश्यकताओं के आधार पर कार्यान्वयन एजेंसियों की सिफारिश करेगी, जिनकी संरचना निम्नलिखित होगी: i) संयुक्त सचिव और समकक्ष अधिकारी (निःशुल्क कोचिंग योजना से संबंधित), दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग - अध्यक्ष ii) संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग या उनके प्रतिनिधि जो उप सचिव/निदेशक के पद से नीचे के न हों - सदस्य iii) निदेशक/उप सचिव (निःशुल्क कोचिंग योजना से संबंधित), दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग - सदस्य सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग चयन समिति की सिफारिश को अनुमोदित करने वाला प्राधिकारी होगा। (संशोधन 24.02.2025 से पहले से ही लागू है)

12	14.6.	कार्यान्वयन एजेंसी के लिए सामान्य शर्तें:- iv) कार्यान्वयन एजेंसी कोचिंग के लिए आउटसोर्सिंग की अनुमति नहीं देगा। v) कार्यान्वयन एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि निर्दिष्ट पाठ्यक्रम के लिए कोचिंग उसके अपने परिसर में ही उपलब्ध कराई जाएगी।	(iv) कार्यान्वयन एजेंसी कोचिंग को आगे आउटसोर्स नहीं करेगी तथा प्रशिक्षकों को कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा सीधे नियुक्त किया जाएगा, जब तक कि विभाग द्वारा विशेष रूप से छूट न दी जाए। (v) कार्यान्वयन एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि निर्दिष्ट पाठ्यक्रम के लिए कोचिंग उसके अपने परिसर में ही प्रदान की जाए, जब तक कि विभाग द्वारा विशेष रूप से छूट न दी जाए।
13	14.7	iii) आधार संख्या या आधार नामांकन संख्या अनिवार्य होगी और अभ्यर्थियों का आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण भी किया जा सकता है। iv) दिव्यांगता प्रमाण पत्र के साथ विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र (यूडीआईडी) संख्या या यूडीआईडी नामांकन संख्या अनिवार्य है।	iii) आधार संख्या अनिवार्य होगी तथा अभ्यर्थियों का आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण भी किया जा सकता है। iv) विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र (यूडीआईडी) संख्या अनिवार्य है। *[14.7(iv) में संशोधन 24.02.2025 से पहले से ही लागू है।]*
14	14.10	वजीफा (स्टाइपेंड) और शुल्क के संवितरण का तरीका:- i) कोचिंग शुल्क/ट्यूशन शुल्क एक केंद्रीय नोडल एजेंसी (सीएनए) के माध्यम से अग्रिम आधार पर जारी किया जाएगा । सीएनए कार्यान्वयन एजेंसी को मासिक/तिमाही आधार पर भुगतान जारी करेगा। ii) मासिक/त्रैमासिक आधार पर प्रगति रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद, वजीफा और अन्य स्वीकार्य भत्ते उम्मीदवार के आधार- सक्षम बैंक खाते में	i) कोचिंग शुल्क/ट्यूशन शुल्क केंद्रीय नोडल एजेंसी (सीएनए) के माध्यम से कार्यान्वयन एजेंसी को जारी किया जाएगा । • पहले 10 दिनों के दौरान 50% उपस्थिति पूरी करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर 50% की पहली किस्त अग्रिम के रूप में जारी की जाएगी।

		प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से मासिक/त्रैमासिक आधार पर जारी किए जाएँगे। किसी विशेष माह के लिए वजीफा/भरण-पोषण और दिव्यांगता भत्ते के लिए पात्र होने हेतु उम्मीदवारों की न्यूनतम 70% मासिक उपस्थिति अनिवार्य है।	• पाठ्यक्रम के पूरा होने पर, उन सभी अभ्यर्थियों को ध्यान रखते हुए, जिन्होंने आधे से अधिक समय तक पाठ्यक्रम में भाग लिया, उन्हें दूसरी किस्त जारी की जाएगी। ii) वजीफा और अन्य स्वीकार्य भत्ते उम्मीदवार के आधार सक्षम बैंक खाते में डीबीटी मोड के माध्यम से जारी किए जाएंगे। • भरण-पोषण एवं दिव्यांगता भत्ता मासिक/तिमाही आधार पर जारी किया जाएगा। किसी विशेष माह के लिए वजीफा/भरण-पोषण एवं दिव्यांगता भत्ता पाने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम 70% मासिक उपस्थिति अनिवार्य है। • पहले 10 दिनों के दौरान 50% उपस्थिति रखने वाले अभ्यर्थियों को पुस्तक भत्ता अग्रिम रूप से जारी किया जाएगा, तथा अन्य अभ्यर्थियों को भरण-पोषण/दिव्यांगता भत्ते की पहली किस्त दी जाएगी, बशर्ते कि उन्होंने पाठ्यक्रम जारी रखा हो।
15	14.11	प्रदर्शन और निगरानी: उचित जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए, विभाग द्वारा एल्गोरिदम के माध्यम से यादृच्छिक रूप से चुने गए संस्थानों/छात्रों में से कम से कम 10% का भौतिक सत्यापन किया जाएगा ।	ii. उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए, कम से कम 10% संस्थानों/छात्रों का भौतिक/आभासी सत्यापन विभाग द्वारा सीधे या अपने संस्थानों के माध्यम से किया जाएगा।

*****